

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 18/2017

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1 असलम खां गोदीपुत्र खुदाबक्श जाईन्दा पुत्र जमाल बक्श जाति पठान मुसलमान निवासी बाग का दरवाजा, राणावास, तहसील मा०जं०	1	मेहबूब खां पुत्र जमालबक्श के का०मु०
	1/2	शाहिदा बानों पत्नि मेहबूब खां
	1/3	रुबीना पुत्री मेहबूब खां जरिये नाबालिक कुदरती वली माता शाहिदा बानों पत्नि मेहबूब खां
	2	हाजी जमालबक्श पुत्र लाल खां
	3	जुबैदा पत्नि हाजी जमालबक्श तमाम जातिगण पठान मुसलमान निवासीगण बाग का दरवाजा, राणावास तहसील मा०जं०
	4	ग्राम पंचायत राणावास जरिये सरपंच
	5	तहसीलदार मारवाड जंक्शन

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :-

1. श्री कानाराम सोलंकी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री पवन सिंघल, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

—: निर्णय :-

दिनांक 29/8/2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, राणावास द्वारा मिसल संख्या 47/2004, संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.10.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6065 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई हैं, जो अप्रार्थी संख्या 2 के पुत्र हैं। जमालबक्श के भाई खुदाबक्श ने प्रार्थी को नाबालिक अवस्था में दिनांक 17.04.2002 को गोद ले लिया था, तब से प्रार्थी खुदाबक्श का पुत्र है। उक्त गोदनामा उप पंजीयक मारवाड जंक्शन द्वारा दिनांक 17.04.2002 को पंजीयन किया है। प्रार्थी के गोदी पिता खुदाबक्श ने अपने जीवनकाल में मौजा गांव राणावास में खसरा नम्बर 800/3 जरिये सामलाति कृषि भूमि दिनांक 31.07.1992 को खरीद की थी। उक्त भूमि पर खुदाबक्श ने अपने जीवनकाल में मकान व 4 दुकाने बना दी थी, जो दुकाने अभी प्रार्थी द्वारा शंकरलाल व राजु को किराये पर दी हैं तथा 3 दुकाने प्रार्थी के पास



खाली पडी है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 का कभी भी कब्जा व मालिकाना हक नहीं रहा एवं न ही उक्त भूमि आबादी भूमि में है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 4 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट कर जो पट्टा विधि विरुद्ध तैयार करके दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है, वह आबादी भूमि का न होकर कृषि भूमि में जारी किया गया है, जिसके खसरा नम्बर 800/3 है। इस खसरे का 15/6 हिस्सा प्रार्थी के गोदीपिता खुदाबक्श ने 9 व्यक्तियों के सामलाती खरीद की है। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थी के पिता ने न तो पंचायत के पक्ष में सरेण्डर की है तथा न ही भूमि रूपान्तरण करवाया है। राजस्व रेकर्ड में आज भी उक्त भूमि कृषि भूमि है। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टे की भूमि राजस्व भूमि होने के कारण पंचायत को पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर मेहबूब का 25 वर्ष पुराना कब्जा बताया गया है, जबकि मेहबूब की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं थी। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का पैतृक कब्जा भी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जैर निगरानी मिसल का प्रार्थना पत्र मय आवेदन पत्र सामान्य नियम 256 के तहत पेश ही नहीं किया। आवेदन पत्र के साथ में कोई शपथ पत्र पेश नहीं है तथा जो मौका रिपोर्ट बनाई गई है, वह किसके द्वारा बनाई गई, नक्शा रिपोर्ट पर कोई सील, दिनांक व कोरम के हस्ताक्षर नहीं है। नियम 257 (1) के तहत स्थल का नक्शा व निरीक्षण नहीं किया गया है। मौके पर गैरसायल व नक्शा नवीश द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये है। ग्राम पंचायत ने आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने की अधिनियम व सामान्य नियम 261 की पालना नहीं करते हुए दिनांक 27.12.2004 को ही पट्टा जारी कर लिया, जबकि आम आपत्ति नोटिस जारी करने के बाद आपत्ति बाबत पूरे परिवार एवं पड़ोसियों के बयान दर्ज नहीं किये है व आदेशात्मक प्रोविजन की पालना नहीं की है तथा विधि विरुद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी कर दिया, जबकि मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना पुराना कब्जा, रहवास व मकान होना साबित नहीं किया है। ग्राम पंचायत ने एक ही दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही की है। अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 30.03.2015 व अप्रार्थी के गोदीपिता की मृत्यु दिनांक 26.06.2015 को हो गई है। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद प्रार्थी ने दुकानों का किराया लेना तथा मकान की मरम्मत का कार्य आरम्भ किया, तो अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नि ने झगडा शुरू कर दिया तथा फर्जी मुकद्दमें में फंसाने की धमकी देने लगी एवं अपने पति मेहबूब द्वारा बनाये गये फर्जी पट्टे के आधार पर प्रार्थी के मकान व दुकानों पर हक जमाने लगी, जब प्रार्थी द्वारा पट्टे की प्रति प्राप्त कर दिनांक 27.08.2015 को श्रीमान के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की, किन्तु बाद में अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नि शाहिदा बानों द्वारा पुलिस थाना सिरियारी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 2 के विरुद्ध दहेज का झूठा मुकद्दमा दिनांक 01.09.2015 को दर्ज करवा दिया तथा प्रार्थी पर मुकद्दमा वापस लेने का दबाव बनाया, तब प्रार्थी दिनांक 29.10.2015 को श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई निगरानी को विद्रोल कर दिया, किन्तु अभी अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नि शाहिदा बानों वापस उक्त फर्जी पट्टे की आड में प्रार्थी को तंग व परेशान कर मकान हडपने पर आमादा है, इस कारण उक्त निगरानी वापस पेश करनी पडी है। उक्त पट्टे से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण नहीं की है तथा कृषि भूमि पर पंचायत को पट्टा जारी करने की अधिकारिता ही नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज करावें।



अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 स्व० मेहबूब सगे भाई है, जो अप्रार्थी संख्या 2 के पुत्र है। जमालबक्श के भाई खुदाबक्श ने प्रार्थी को नाबालिग अवस्था में दिनांक 17.04.2002 को ही गोद ले लिया था, तब से प्रार्थी खुदाबक्श का पुत्र है। प्रार्थी के गोदी पिताजी खुदाबक्श ने अपने जीवनकाल में मौजा राणावास के खसरा नम्बर 800/3 जरिये सामलाती कृषि भूमि दिनांक 31.07.1992 को खरीद की थी। उक्त भूमि पर खुदाबक्श जी ने अपने जीवनकाल में मकान व 4 दुकाने बना दी थी। जो दुकाने अभी प्रार्थी द्वारा शंकरलाल व राजु को किराये पर दी है तथा 2 दुकाने प्रार्थी के पास खाली पडी है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का कभी भी कब्जा व मालिकाना हक नहीं रहा है एवं न ही भूमि आबादी में है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 4 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट कर विधि विरुद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो खारिज योग्य है। प्रार्थी खुदाबक्श का गोदीपुत्र है, जिसका पंजीयन उप पंजीयक मारवाड जंक्शन के समक्ष दिनांक 17.04.2002 को करवाया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 मेहबूब की सम्पत्ति का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 की सम्पत्ति में निहित है। प्रार्थी के गोदी पिताजी खुदाबक्श की सम्पत्ति में मेहबूब का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा मेहबूब के नाम जारी किया गया है, वह कृषि भूमि है, जिसके खसरा नम्बर 800/3 है। इस खसरे का 15/6 हिस्सा प्रार्थी के गोदीपिता खुदाबक्श ने 9 व्यक्तियों के सामलाती खरीद किया है तथा पंजीयन करवाया है। उक्त कृषि भूमि खुदाबक्श ने न तो ग्राम पंचायत के पक्ष में समर्पण की है तथा न ही उक्त भूमि का रूपान्तरण करवाया है। राजस्व रेकॉर्ड में उक्त भूमि आज भी कृषि भूमि दर्ज है। जैर निगरानी भूखण्ड पर मेहबूब का 25 वर्ष पुराना कब्जा बताया है, जबकि मेहबूब की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का पैतृक कब्जा भी नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज करावे।



विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का आधार यह है कि अप्रार्थी को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह खसरा नम्बर 800/3 की कृषि भूमि है, जो खुदाबक्श द्वारा खरीदसुदा है, उसी ने उक्त भूमि पर मकान एवं दुकाने बनवाई है। प्रार्थी को खुदाबक्श द्वारा जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 17.04.2002 के द्वारा गोद लिया गया है, इस कारण खुदाबक्श की सम्पत्ति में समस्त अधिकार प्रार्थी में निहित हो गये। ग्राम पंचायत द्वारा खुदाबक्श की खरीदसुदा भूमि में अप्रार्थी मेहबूब के पक्ष में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा को खारिज कराने का अनुतोष चाहा है। जबकि मुस्लिम विधि में गोद लिये जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है तथा न ही गोदनामे के आधार पर मुस्लिम विधि में किसी को अधिकार प्राप्त होते है एवं न ही गोदनामे के पंजीयन से प्रार्थी खुदाबक्श का पुत्र हो जाता है तथा इस आधार पर खुदाबक्श की सम्पत्ति में प्रार्थी को किसी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थी खुदाबक्श का गोदीपुत्र नहीं है, तथाकथित गोदनामा दिनांक 17.04.2002 अवैध एवं विधिक रूप से प्रभाव शून्य है। इसके अतिरिक्त भी बिना स्वीकारोक्ति, बिना मुस्लिम विधि में गोद की रस्म स्वीकार किये, यदि मुस्लिम विधि में गोद का प्रावधान माना जाये, तब भी खुदाबक्श द्वारा अपने जीवनकाल में स्व० मेहबूब को गोद लेकर अपने पुत्र की तरह साथ रखा। खुदाबक्श

द्वारा मेहबूब को स्कूल में भर्ती करवाया। इस प्रकार सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेहबूब के पिता का नाम हाजी खुदाबक्श दर्ज है। स्व० खुदाबक्श द्वारा ही वर्ष 1999 में मेहबूब का निकाह करवाया गया था, जिस निकाहनामे में पिता के रूप में खुदाबक्श का नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी को गोद लेने के पूर्व ही स्व० खुदाबक्श द्वारा मेहबूब को गोद लेकर उसे गोदी पुत्र के रूप में पाल पोषकर बड़ा किया, उसे पढाया, उसका निकाह किया एवं उसके पश्चात अप्रार्थी जिस मकान में रहवास कर रहे हैं, उस मकान में रहने की व्यवस्था की। खुदाबक्श द्वारा मेहबूब को गोद लेने के पश्चात किसी अन्य को गोद नहीं लिया जा सकता है, इस कारण भी तथाकथित गोदनामा दिनांक 17.04.2002 अवैध एवं विधिक रूप से प्रभाव शून्य है। इस तथाकथित गोद नामों के आधार पर प्रार्थी को खुदा बक्श की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यह तथ्य सही है कि खुदाबक्श ने अपने जीवनकाल में मकान एवं दुकानों का निर्माण करवाया गया था एवं उनके द्वारा अपने जीवनकाल में ही यह मकान एवं दुकाने स्व० मेहबूब को उसके विवाह के पश्चात सुपुर्द कर दी थी, तब से उक्त मकान एवं दुकाने मेहबूब के अधिकार एवं आधिपत्य में चली आ रही है। उसी का अपने परिवार सहित रहवास है, उसके नाम से मकान में बिजली का कनेक्शन है, उसका राशनकार्ड इसी मकान का बना हुआ है, मतदाता पहचान पत्र एवं आधार कार्ड भी इसी मकान का बना हुआ है, मेहबूब की मृत्यु भी इसी मकान में हुई है तथा मेहबूब की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार का इसी मकान में रहवास एवं कब्जा है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी में यह कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा खसरा नम्बर 800/3 की कृषि भूमि में जारी किया गया है, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यह विवादित प्रश्न है, जिसका निर्णय बिना साक्ष्य के इस याचिका में नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में भूमि का पट्टा जारी नहीं किया गया है, अपितु अप्रार्थी के पुराने मकान का नियमन किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 140 में आबादी भूमि परिभाषित की गई है, जिसके अनुसार पंचायत की सीमा में स्थित नजूल भूमि को आबादी भूमि बताया गया है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 3 (1बी) नजूल भूमि को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार भी पंचायत सीमा में स्थित भूमि आबादी भूमि होती है, इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि स्वीकृत रूप से पंचायत की सीमा में स्थित आबादी भूमि है। इस कारण इस भूमि में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को विधिक अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, उसके आस पास में कई व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये हैं तथा मकानों की इस पंक्ति के दक्षिण में मारवाड जंक्शन राणावास जाने वाला राज मार्ग है एवं उसके आगे दक्षिण दिशा में भी अनेक लोगों को इसी भूमि में पट्टे जारी किये गये हैं। मौके पर सभी के मकान बने हुए हैं, इसी भूमि में स्कूल बनी हुई है। इस भूमि के पूर्व में बस स्टेण्ड एवं उसके आगे पूरी आबादी बसी हुई है। इस प्रकार इस भूमि में अप्रार्थी मेहबूब के पक्ष में पट्टा जारी करने के पूर्व भी अनेक व्यक्तियों के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं। इस प्रकार मौके पर उक्त भूमि का कभी भी कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं हुआ है, अपितु सम्पूर्ण भूमि आबादी में परिवर्तित हो चुकी है, आबादी बस चुकी है। यह भूमि ग्राम पंचायत की सीमा में है, आबादी की समस्त आधारभूत सुविधाएँ पक्की सड़के, रोड लाईट, नालिया, पानी के कनेक्शन किये हुए हैं। इस प्रकार उक्त भूमि पर पट्टा जारी करने की अधिकारिता विधिक रूप से ग्राम पंचायत को ही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में अंकित यह



तथ्य गलत है कि जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, उस पर मेहबूब का पच्चीस वर्ष पुराना कब्जा बकाया हो, अपितु ग्राम पंचायत की पत्रावली से स्पष्ट है कि पट्टा प्राप्त करने हेतु मेहबूब द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपने पिता का पुश्तैनी मकान बताकर अपने नाम से पट्टा बनाने का निवेदन किया गया है, तत्समय इस मकान में खुदाबक्श के पुत्र होने के नाते उनके हिस्से में मेहबूब का ही कब्जा एवं रहवास था तथा खुदाबक्श द्वारा पट्टा जारी करने के समय एवं उसके पश्चात वर्ष 2015 में उनके देहान्त तक कभी भी कोई आपत्ति नहीं की गई एवं न ही उनके जीवनकाल में प्रार्थी असलम द्वारा इस सम्बन्ध में कभी कोई आपत्ति की। जिस मकान का पट्टा जारी किया गया है, वह मकान पट्टा जारी करने की तिथि से कई वर्ष पूर्व से बना हुआ है, इस प्रकार इस भूमि एवं मकान पर स्व० मेहबूब एवं खुदाबक्श का पुराना कब्जा चला आ रहा है। खुदाबक्श की मृत्यु के पश्चात उसके जीवनकाल में उनकी सहमति से जारी पट्टे को चुनौती देने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में यह आपत्ति की गई है कि राजस्थान पंचायती राज के सामान्य नियम 256, 257, 258, 259, 260 एवं 261, 267 की पालना नहीं की गई है, जबकि उक्त नियम एवं प्रावधान भर्ती एवं अन्य सेवा से सम्बन्धित है, जिसका पट्टा जारी करने से कोई सरोकार नहीं है। राजस्थान पंचायत राज नियम 141 से 156 में पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया बताई गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी मेहबूब को किसी भी भूमि का विक्रय नहीं किया गया है, अपितु उसके स्वयं के कब्जासुदा मकान का नियम 157 के तहत नियमन किया गया है, इस कारण नियम 141 से 156 के प्रावधान पुराने मकानों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में लागू नहीं होते हैं, तथापि मेहबूब द्वारा अपने जीवनकाल में अपने पिता का पुश्तैनी कब्जा होना बताते हुए नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। पंचायत द्वारा दिनांक 12.08.2004 को नियमानुसार नियम 145 (3) के तहत नक्शा बनाने का आदेश पारित किया गया, सचिव द्वारा नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया गया, तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 06.09.2004 को नियमानुसार आपत्ति आमन्त्रित करने हेतु नोटिस जारी किया गया। मौके पर गवाह के रूबरू नोटिस चस्पा किया गया, तत्समय खुदाबक्श, प्रार्थी एवं अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इसके पश्चात अन्तरिम निर्णय लिया गया, गवाहों के बयान लिये गये एवं नियमानुसार मौके पर पुराना मकान बना होने के आधार पर पट्टा जारी किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। ग्राम राणावास में खुदाबक्श जी के कई मकान एवं कृषि भूमियां हैं, जिन पर प्रार्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया हुआ है। अप्रार्थी द्वारा इन समस्त सम्पत्तियों में अपना हिस्सा मांगने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी पर दबाव पर दबाव बनाने की बदनियति से न्यायालय में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त करवाने हेतु इस याचिका में दर्ज आधारों पर पूर्व में निगरानी प्रस्तुत की, जो निगरानी संख्या 34/2015 दर्ज हुई, जिसमें प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी पर यह दबाव बनाया कि यदि वह खुदाबक्श की अन्य सम्पत्तियों में अपना हिस्सा नहीं मांगे, तो वह राजीनामा प्रस्तुत कर देगा, इस आधार पर उसके द्वारा पूर्व याचिका में राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2015 को पूर्व याचिका निरस्त की गई। उन्हीं आधारों पर प्रार्थी को नई याचिका प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका विधि से वर्जित होने से पोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा यह जाहिर किया गया कि उक्त भूमि खुदाबक्श के



अधिकार एवं आधिपत्य की है, जबकि खुदाबक्श द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त पट्टे को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की। प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका पट्टा जारी करने के 12 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है, जो विधि से वर्जित होने के कारण पोषणीय नहीं है। अप्रार्थी के पक्ष में पंचायत की भूमि का विक्रय नहीं किया गया है, अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने में कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है। उसके स्वयं की आबादी में स्थित भूमि पर निर्मित मकान का नियमन किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त डी०एन०जे० (राज.) 2007(2) पेज 975, डी०एन०जे० (राज.) 2012(2) पेज 602, डी०एन०जे० (राज.) 2008(2) पेज 735 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, राणावास द्वारा मिसल संख्या 47/2004, संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.10.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6065 के विरुद्ध पेश की गई है। ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आवेदक मेहबूब खां पुत्र जमालबक्श द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत राणावास के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने पिता के पुश्तैनी मकान का स्वयं के नाम से पट्टा बनाने का निवेदन किया। ग्राम पंचायत द्वारा इस पर दिनांक 12.08.2004 को मिसल कायम कर सचिव को नक्शा बनाने के आदेश दिये। इसके पश्चात दिनांक 21.08.2004 को मिसल की आदेशिका में सचिव द्वारा नक्शा पेश किया गया एवं नियम 146 (2) के तहत तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये, किन्तु किन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया, इसका इन्द्राज न तो मिसल की आदेशिका में है तथा न ही पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण में। इसके पश्चात दिनांक 06.09.2004 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट शामिल मिसल कर नियम 148 (2) के तहत अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह का आपत्ति इशतिहार जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात दिनांक 06.10.2004 तक कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने कब्जे के सम्बन्ध में दो गवाहों के बयान दर्ज कराने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 20.10.2004 को गवाह लाल अहमद एवं खीवाराम के बयान कलमबद्ध कर नियम 157 (ख) के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि आबादी की है अथवा खसरा नम्बर 800/3 की होकर कृषि भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार डोली बनाम मन्दिर चारमुजा जी खातेदार दर्ज है। पत्रावली पर जो तथ्य प्रकट हुए हैं, उनके अनुसार यह भूमि खुदाबक्श तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा सामलाती रूप से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर पंचायत को पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार भी उक्त भूमि खसरा नम्बर 800/3 की होना प्रकट होती है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में डोली की खातेदारी के रूप में दर्ज है। इस प्रकार प्रकरण



में यह तथ्य निर्विवादित रूप से स्पष्ट होता है कि जिस भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, वह रेकॉर्ड के अनुसार आबादी भूमि नहीं थी, जिसके कारण पंचायत को उक्त भूमि पर पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं है। प्रार्थी का कथन है कि वह खुदाबक्श का गोदीपुत्र है, जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सिरे से नकारा है तथा यह कथन किया कि मुस्लिम विधि में गोद के प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया कि खुदाबक्श द्वारा मेहबूब को गोद लिया गया था तथा इसके साक्ष्य स्वरूप मेहबूब के शैक्षणिक दस्तावेज, निकालना आदि की प्रतियां प्रस्तुत की। चूंकि गोद का प्रश्न है, तो वह न तो निगरानी की प्रक्रिया को प्रभावित करता है तथा न ही इन तथ्यों को अवधारित करना सन्दर्भित धारा में परीक्षण योग्य है एवं न ही इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत इस न्यायालय को मात्र यह क्षेत्राधिकार है कि पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांजित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तदनुसर आदेश पारित कर सकेगी। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 में आबादी भूमि को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार "आबादी भूमि - "आबादी भूमि" से किसी पंचायत सर्किल के बसे हुए क्षेत्रों के भीतर पड़ने वाली ऐसी नजूल भूमि अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार के किसी आदेश के द्वारा या अधीन किसी पंचायत में निहित हो या निहित की गई हो या उसके निर्वर्तनाधीन रखी गई हो। आबादी भूमि से तात्पर्य नजूल भूमि से है, जो किसी पंचायत सर्किल के सनिवासित क्षेत्रों में स्थित है, जो राज्य सरकार की किसी आज्ञा द्वारा या उसके अधीन पंचायत में निहित है या निहित कर दिया गया है अथवा उसके अधीन रख दिया गया है।" राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 (ख) के अनुसार आबादी या आबादी भूमि से अभिप्राय ग्राम, कस्बा या शहर के आबाद क्षेत्र से है और उसमें ऐसे ग्राम, कस्बे और शहर स्थल (Site) जो कि उसके आबादी के विकास के लिए धारा 92 के अन्तर्गत सुरक्षित और अलग रखी गई हो और वह भूमि जो निर्माण प्रयोजनों के लिए उनमें धारण की गई हो (Held) चाहे, उस पर भवन निर्माण कार्य कर दिया गया हो अथवा नहीं, शामिल होगी। हस्तगत प्रकरण में जिस भूमि का पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये हैं, वह भूमि निर्विवादित रूप से आबादी अथवा नजूल भूमि न होकर खोली की खातेदारी के रूप में दर्ज है तथा किसी की खातेदारी भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी 12 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है तथा विलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया, इस कारण निगरानी म्याद बाहर होने से खारिज की जावे। इन कथनों के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त डी०एन०जे० (राज.) 2007 (2) पेज 975 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम ग्राम पंचायत तेलवाडा व अन्य, डी०एन०जे० (राज.) 2012 (2) पेज 602 रमेश चन्द बनाम रामचरण सिंह व अन्य तथा डी०एन०जे० (राज.) 2008 (2) पेज 735 अब्दुज लतीफ व अन्य बनाम सरकार व अन्य में प्रतिपादित न्यायिक



सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त सिद्धान्त सम्माननीय है, किन्तु हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के भिन्न होने के कारण इस पर पूर्ण रूपेण चस्पा नहीं होते है। इसके अतिरिक्त राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी हेतु किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं है। जहां तक प्रार्थी द्वारा पूर्व में निगरानी प्रस्तुत करने का प्रश्न है, तो उक्त निगरानी मेरीट पर निर्णित न होकर जरिये विड्रोल खारिज की गई थी, जिसके कारण हस्तगत निगरानी की सुनवाई करना किसी भी प्रकार से विधि द्वारा वर्जित नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार यह स्पष्ट हो चुका है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर खातेदारी भूमि पर पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये है, जो विशुद्ध रूप से विधि विरुद्ध है। इस प्रकार की आज्ञा को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, राणावास द्वारा मिसल संख्या 47/2004, संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.10.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6065 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड लौटाया जावे।



(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/8/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली